रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25, 1970/वैशाख 5, 1892

No. 74] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25, 1970/VAISAKHA 5, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd April 1970

No. F.7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to set up a Pay Commission composed of the following:—

Chairman

(1) Shri Raghubar Dayal, *ex*-Judge of the Supreme Court.

Members

(2) Dr. Nihar Ranjan Ray.

(3) Prof. A. K. Das Gupta.

(4) Dr. V. R. Pillai.

Member-Secretary

(5) Shri H. N. Ray, ICS.

2. The Commission will be required to enquire into and make recommendations on:—

(i) the principles which should govern the structure of emoluments and conditions of service of Central Government employees;

(ii) what changes in the structure of emoluments and conditions of service of different classes of Central Government employees are desirable and feasible;

(iii) death-*cum*-retirement benefits of Central Government employees;

(iv) the structure of emoluments and conditions of service, including death-*cum*-retirement benefits, of personnel belonging to the All India Services;

(v) the structure of emoluments including benefits in cash and kind and death-*cum*-retirement benefits of personnel belonging to the Armed Forces, having regard to their terms and conditions of service;

(vi) the structure of emoluments and conditions of service, including death-*cum*-retirement benefits, of employees of the Union Territories; and

(vii) while enquiring into the level of minimum remuneration, the Commission may examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage having regard to all relevant factors.

3. The Commission will make its recommendations having regard, among other relevant factors, to the economic conditions in the country, the resources of the Central Government and the demands thereon such as those on account of developmental planning, defence and national security, the repercussions on the finances of the State Governments, public sector undertakings, local bodies, etc.

4. In case, in view of the increase in cost of living, the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief should take effect will be indicated by the Commission.

5. The Commission will devise its own procedure and may appoint such advisers as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. Ministries and Departments of the Government of India will furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trust that the State Governments, service associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

6. The Commission will make its recommendations as soon as practicable.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1970

सं० एफ० 7(25)-ई 111(ए)/69—भारत सरकार ने एक वेतन आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसका गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा :—

अध्यक्ष

(1) श्री रघुबर दयाल, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश।

सदस्य

(2) डा० निहार रंजन राय ।

(3) प्रो० ए० के० दास गुप्त ।

(4) डा० वी० प्रार० पिल्लै ।

सदस्य सचिव

(5) श्री एच० एन० राय, आई० सी० एस० ।

2. आयोग को निम्नलिखित बातों की जांच करनी होगी और उन पर अपनी सिफारिशें देनी होंगी :—

(i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों के नियामक सिद्धान्त ।

(ii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के वेतन के ढांचे और सेवा की शर्तों में कौन से परिवर्तन वांछनीय तथा व्यवहार्य हैं ;

(iii) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति लाभ ;

(iv) अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के वेतन-क्रम का ढांचा, सेवा की शर्तें तथा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति लाभ ;

(v) सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन के ढांचे, नकद तथा माल के रूप में मिलने वाले लाभ ; और मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ ;

(vi) संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन के ढांचे तथा सेवा की शर्तें एवं मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति लाभ ; और

(vii) निम्नतम वेतन के स्तर की जांच करते समय आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की इस मांग की भी जांच कर सकता है कि न्यूनतम वेतन आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए ।

3. आयोग, अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में, अन्य संबंधित कारणों के साथ साथ, देश की आर्थिक स्थिति, केंद्रीय सरकार के साधनों को तथा उन साधनों पर विकासोमुख आयोजना रक्षा-व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा-व्यवस्था जैस प्रयोजनों के लिए धन की आवश्यकता को एवं राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, आदि के वित्तीय साधनों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी ध्यान में रखेगा ।

4. अगर, जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि को देखते हुए, आयोग द्वारा किये जाने वाले विचार-विमर्श के दौरान अंतरिम किस्म को राहत पर विचार करने की आवश्यकता उपस्थित हो तो आयोग अंतरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है और उस पर अपनी रिपोर्ट दे सकता है । अगर आयोग किसी प्रकार की अंतरिम राहत दिये जाने की सिफारिश करे तो आयोग इस बाबत भी सुझाव देगा कि इस प्रकार की राहत किस तारीख से दी जाय ।

5. आयोग अपने कार्य की विधि स्वयं ही निर्धारित करेगा और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत महसूस करेगा तो ऐसे सलाहकार नियुक्त करेगा। वह जैसी जरूरी समझेगा वैसी जानकारी मंगवा सकेगा और वैसे साक्ष्य ले सकेगा। आयोग द्वारा जो जानकारी तथा दस्तावेज और अन्य सहायता मांगी जायगी, वह भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। भारत सरकार विश्वास करती है, आयोग को राज्य सरकारों, सेवा संस्थाओं और अन्य संबंधित संगठनों आदि द्वारा पूरा सहयोग तथा सहायता दी जायगी।

6. आयोग अपनी सिफारिशें, यथा-शक्य शीघ्र प्रस्तुत करेगा।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा अन्य सभी संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों आदि को भेजी जाय।

पी० गोविन्दन नायर, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970